भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 5288

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2015/4 वैशाख, 1937 (शक) को दिया गया)

लेखासंपरीक्षा सिद्धांतों का उल्लंघन

5288. श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में लेखासंपरीक्षा फर्म/कंपनियों द्वारा लेखापरीक्षा सिद्धांतों और वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त होने की घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश में ऐसे मामलों की संख्या का फर्म/कंपनी-वार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और ऐसी फर्म/कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान लेखासंपरीक्षा सिद्धांतों के इन उल्लंघनों के कारण सरकार की कितनी हानि हुई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (घ) : संबंधित अवधि के दौरान ध्यान में लाए गए मामलों का ब्यौरा अनुलग्नक-I पर दिया गया है। इन अनियमितताओं के कारण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुई वित्तीय हानि का अलग से कोई उदाहरण सामने नहीं आया है।

ऐसे मामलों में कंपनी अधिनियम के गैर-अनुपालन के लिए उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है जिनमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 के साथ पठित धारा 227/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 147 के साथ पठित धारा 143 शामिल है। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं अपेक्षित हो चूककर्ता लेखापरीक्षकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान को भी हवाला दिया जाता है।

लेखापरीक्षकों द्वारा ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रावधान किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में कड़े दंडात्मक प्रावधान;

(ii) लेखापरीक्षकों की पात्रता/स्वतंत्रता संबंधी कड़ी अपेक्षाएं;

(iii) लेखापरीक्षकों का अनिवार्य रोटेशन;

(iv) निर्दिष्ट गैर-लेखापरीक्षा सेवाएं प्रदान करने पर प्रतिबंध;

(v) सूचीबद्ध और बड़ी कंपनियों के मामले में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक संबंधी लेखापरीक्षा समिति की भूमिका;

(vi) निदेशक मंडल की रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और शेयरधारकों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में अधिक प्रकटीकरण।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 24 अप्रैल, 2015 के लोक सभा में उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5288 के प्रश्न संख्या (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

प्रादेशिक निदेशकों/कंपनी रजिस्ट्रारों से प्राप्त कंपनियों द्वारा लेखांकन सिद्धांतों और वित्तीय अनियमितताओं की अवहेलना करने के मामलों का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	वर्ष			
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	आन्ध्र प्रदेश	01	01	01	--
2	असम	01	--	01	--
3	बिहार	--	01	--	--
4	चंडीगढ़	--	--	03	--
5	दिल्ली	45	17	16	--
6	गोवा	02	03	--	--
7	गुजरात	03	05	02	--
8	हरियाणा	--	--	04	--
9	कर्नाटक	07	22	02	--
10	मध्य प्रदेश	--	01	01	--
11	महाराष्ट्र	83	51	37	--
12	मेघालय	02	--	--	--
13	उड़ीसा	--	--	03	--
14	पुणे	12	01	--	--
15	राजस्थान	02	02	--	--
16	तमिलनाडु	04	03	--	--
17	उत्तर प्रदेश	26	--	01	--
18	पश्चिम बंगाल	28	49	50	--

इसके अतिरिक्त, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने यह भी सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) में लेखापरीक्षा फर्मो/कंपनियों के विरुद्ध कुल 28 शिकायतें दायर की गई हैं। कंपनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं अर्थात् 227, 233, 628 आदि के अंतर्गत 29 लेखापरीक्षा फर्मो/लेखापरीक्षा कंपनियों के विरूद्ध विभिन्न निर्दिष्ट न्यायालयों में शिकायतें भी दायर की गई हैं।

*****